

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,
नजर हुसैन,
अपर सचिव

सेवा में,
प्रधान महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचंद पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक 30/3/26

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (पुनर्गठित) योजना के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश मद की रू० 1,00,00,000.00 (एक करोड़ रुपये) मात्र तथा राज्यांश मद की रू० 66,66,700.00 (छियासठ लाख छियासठ हजार सात सौ रुपये) मात्र अर्थात् कुल रू० 1,66,66,700.00 (एक करोड़ छियासठ लाख छियासठ हजार सात सौ रुपये) मात्र राशि की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश : स्वीकृत।

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पूर्व में संचालित योजना राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को "राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (पुनर्गठित)" नाम से अनुमोदित करते हुए इसे दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2026 तक के लिए प्रभावी किया है। इस योजना के तहत पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने, विकेन्द्रीकृत संस्था के रूप में पंचायतों की क्षमता विकसित करने एवं पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं कर्मियों के प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्द्धन हेतु राशि उपलब्ध करायी जाती है। यह योजना केन्द्र प्रायोजित है, जिसमें केन्द्र एवं राज्य की हिस्सेदारी क्रमशः 60:40 है।

2. पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक—F.No.16/IFD/MoPR/2025-26 दिनांक—25.03.2026 द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (2025-26) के अंतर्गत केन्द्रांश के रूप में कुल रू० 1,00,00,000.00 (एक करोड़ रुपये) मात्र राशि विमुक्त की गयी है, जिसके आलोक में राज्यांश मद की राशि रू० 66,66,700.00 (छियासठ लाख छियासठ हजार सात सौ रुपये) मात्र विमुक्त की जानी है।

3. उक्त आलोक में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (2025-26) योजना अंतर्गत पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार की गठित Central Empowered Committee (CEC) द्वारा अनुमोदित गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में केन्द्रांश मद की रू० 1,00,00,000.00 (एक करोड़ रुपये) मात्र तथा राज्यांश मद की रू० 66,66,700.00 (छियासठ लाख छियासठ हजार सात सौ रुपये) मात्र अर्थात् कुल रू० 1,66,66,700.00 (एक करोड़ छियासठ लाख छियासठ हजार सात सौ रुपये) मात्र राशि की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. इस स्वीकृत राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2025-26 में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान से संबंधित बजट शीर्षों से निम्नरूपेण की जायेगी:-


क्र०	बजट शीर्ष	विषय शीर्ष	राशि (रूपये में)
i)	मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0215-राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)। विपत्र कोड-16-2515001980215	0215-31-04	20,00,000.00
		0215-31-05	30,00,000.00
		0215-31-06	50,00,000.00
Total (A)			1,00,00,000.00
ii)	मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- उप शीर्ष-0214-राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)। विपत्र कोड-16-2515007890214	0214-31-04	10,00,000.00
		0214-31-05	16,66,700.00
		0214-31-06	40,00,000.00
Total (B)			66,66,700.00
Total (A+B)			1,66,66,700.00

5. इस स्वीकृत राशि का व्यय वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के नये मार्गदर्शिका (पत्रांक-F.No. 1 (27)/PFMS/2020 दिनांक-13.07.2023) के अनुसार RBI के e-Kuber Platform के द्वारा राशि का परिसीमन/अंतरण/व्यय SNA-SPARSH Model के माध्यम से क्रियान्वयन किया जायेगा।

6. इस योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर क्रियान्वयन एजेंसी (Implementing Agency) परियोजना निदेशक, बिहार राज्य पंचायत संसाधन संस्था, पटना बिहार होंगे, जो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (2025-26) हेतु अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के आलोक में राशि का व्यय करना सुनिश्चित करेंगे।

7. इस स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, राज्य स्तर पर नामित क्रियान्वयन एजेंसी (Implementing Agency) हेतु संयुक्त सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार होंगे, जो राशि की निकासी एवं व्यय SNA-SPARSH Model के माध्यम से करना सुनिश्चित करेंगे।

8. इस स्वीकृत राशि को पंचायती राज विभाग, बिहार (प्रशासी विभाग) द्वारा CFMS पोर्टल पर राज्य स्तरीय क्रियान्वयन एजेंसी (Implementing Agency) को राशि का Limit प्रदान करेंगे। उपलब्ध करायी गयी राशि का भुगतान पूरी छान-बीन एवं जाँच-पड़ताल के बाद ही किया जायेगा। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।



इस स्वीकृत एवं आवंटित राशि में से व्यय/उपयोग की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र (GFR-19A एवं BTC-42A) में विभाग को महालेखाकार के समायोजन हेतु 18 माह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

10. पूर्व में निर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-84 (स्वी०) दिनांक-10.03.2026 एवं विभागीय आवंटनादेश सं०-94 (आ०) दिनांक-12.03.2026 तथा शुद्धि पत्र-4568 दिनांक-17.03.2026 को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है।

11. इस स्वीकृत राशि की निकासी हेतु अलग से आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा, जिसके आधार पर राशि की निकासी एवं व्यय की जायेगी।

12. इस स्वीकृत राशि के प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार, पंचायती राज विभाग की सहमति संचिका संख्या 2P/RGSA-20/Fund-10/2025 के पृष्ठ संख्या 39 /टि० पर दिनांक 30.03.26 को प्राप्त है।

13. इस स्वीकृत राशि के प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या 2P/RGSA-20/Fund-10/2025 के पृष्ठ संख्या 39 /टि० पर दिनांक 30.03.26 को प्राप्त है।

14. इस स्वीकृत्यादेश के सभी पृष्ठ अपर सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित है।

अनुलग्नक: यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन
(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांक : 2P/RGSA-20/ Fund-10 /2025 /92 /पं०रा०,

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक: यथा उपर्युक्त।

पटना, दिनांक 30.3.26

(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांक : 2P/RGSA-20/ Fund-10 /2025 /92 /पं०रा०,

प्रतिलिपि : परियोजना निदेशक, बिहार पंचायत संसाधन संस्था, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक: यथा उपर्युक्त।

पटना, दिनांक 30.3.26


(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांक : 2P/RGSA-20/ Fund-10 /2025 /११२(स्वी०) /पं०रा०,

प्रतिलिपि: सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक: यथा उपर्युक्त।

पटना, दिनांक 30/3/26


(नजर हुसैन)


अपर सचिव

ज्ञापांक : 2P/RGSA-20/ Fund-10 /2025 /११२(स्वी०) /पं०रा०,

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक: यथा उपर्युक्त।

पटना, दिनांक 30/3/26


(नजर हुसैन)


अपर सचिव

ज्ञापांक : 2P/RGSA-20/ Fund-10 /2025 /११२(स्वी०) /पं०रा०,

प्रतिलिपि: संयुक्त सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-5 एवं 6/आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई०टी० मैनेजर को निदेश दिया जाता है कि स्वीकृत्यादेश की प्रति विभाग के वेबसाइट पर डालेंगे तथा सभी संबंधितों को ईमेल के माध्यम से सूचित करेंगे।

अनुलग्नक: यथा उपर्युक्त।

पटना, दिनांक 30/3/26


(नजर हुसैन)

अपर सचिव



Budget Summary of Annual Action Plan for Bihar (2025-26)

		(Rs. in crore)
Sl. No.	Component	Amount approved by CEC
1	Capacity Building & Training	
i	Training for GPDP/ BPDP/ DPDP /Thematic Training - LSDGs (98,474 participants)	23.01
ii	Specialized Training trainings (1,28,525 participants)	23.99
iii	Any other Training (1,55,297 participants)	31.98
	Total (CB&T)	78.98
2	Other activities under Capacity Building & Training	
i	Training Module	0.10
ii	Training need Assessment	0.10
iii	Development of Training Material	0.20
iv	Evaluation of Capacity building and training activities	0.10
v	Exposure visits within State (for 1000 @ 3500 for 2days)	0.70
vi	Exposure visits outside State (for 4500 @ 5000 for 6 days)	13.50
vii	Development of Panchayat Learning Centre (for 50 PLC)	3.50
viii	Additional Trainers/ Master Trainers in thematic areas for localization of SDGs. (for 35 MTs)	0.04
ix	Leadership Management Development Program (200 participants @10,000/- for 5 days)	1.00
	Total of CB&T (other activities)	19.24
3	Institutional Infrastructure	
i	Provision for establishment of SPRCs in rented building	0.09
ii	Provision for DPRC Building Construction (1 carry over)	2.00
iii	Provision for establishment of DPRCs in rented Building (14 DPRCs)	0.84
iv	Hiring of Training infrastructure & equipment's at District Level (1% of the cost of total training at District level)	0.36
v	Provision for establishment of BPRCs in rented Building (for 295 BPRCs)	10.62
vi	Hiring of Training infrastructure & equipment at Block Level (1% of the cost of total training at Block level)	0.12
	Total Institutional Infrastructure	14.03
4	Institutional Infrastructure (Recurring Cost)	
i	SPRC Recurring Cost (9 thematic expert and 2 Administrative staff)	0.84
ii	DPRC Recurring Cost for 38 DPRCs (4 thematic expert and 1 Administrative staff in each DPRCs)	7.60
iii	BPRC Recurring Cost for 240 BPRCs (2 thematic expert and 1 Administrative staff for each BPRCs)	12.39
	Total Institutional Infrastructure (Recurring cost)	20.83
5	Computer Lab in SPRC/DPRC	

i	Computer Lab in SPRC (30 Computer)	0.23
ii	Computer Lab in DPRC (20 Computers in 24 Districts)	3.74
	Total of special component	3.97
6	Support for Panchayat Infrastructure	
i	Computer and Accessories (171 @ 78,000/- CO)	1.33
ii	Computer and Accessories (2000@ 78,000/-)	15.60
	Total Cost Panchayat Infrastructure	16.93
7	Programme Management Unit (PMU)	
i	State Programme Management Unit (SPMU) 1 SPM, 1 State coordinator (e.gov) & 1 coordinator (M&E), 1 DEO	0.264
ii	District Programme Management Unit (38 DPMU)(38 DPM, 38 Dist. Coordinator(e.gov/M&E), 38 DEO)	4.10
iii	Block Program Management (295 BPMU)(295 Block Coordinator, 295 DEO/Administrative assistant)	14.16
	Total of PMU	18.52
8	Distance learning facility through SATCOM or IP based technology etc.	
i	Studio at the State level (Up to Rs.1.00 crore) 1 Studio at State Level	1.00
ii	Satellite Interactive Terminals (SITs) (Rs.1.5 lakh per SIT)	0.58
	Total of Distance learning	1.58
9	Innovative Project	
ii	Increasing Panchayat's Own Source Revenue	0.00
	Total Innovative Project	0.00
10	Economic Development and Income Enhancement Bihar Projects	
i	Fertilizer from Water Hyacinth (JalKumbhi)	0.00
	Total of Economic Development Project	0.00
	Sub Total	174.08
11	IEC (Upto 2% of the approved plan size)	3.48
12	PMU (Upto 1.5% of the approved plan size)	2.61
	Total Plan size	180.17